न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 79/2022
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः— 88/53 आरटीए

रामप्यारी पत्नी सिकन्दर पाल जाति जाट नि. नुकेरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ राज0 वादीया

बनाम

1. राजेश उर्फ सुरेन्द्र कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0
2. नरेन्द्रकुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0
3. चन्द्रकला पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0
4. विनोद देवी पत्नी बलराम झोरड जाति जाट नि.नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0
5. बैंक आफ बडौदा शाखा संगरिया।
6. बैंक ऑफ बडौदा शाखा किशनपुरा।
7. पंजाब नेशनल बैक शाखा संगरिया।
8. तहसीलदार, राजस्व संगरिया। प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :—

1. श्री संतोष सोलकीं अधिवक्ता— वादीया
2. श्री नक्षत्र सिह सिद्धू अधिवक्ता—प्रतिवादी संख्या 4
3. राज—पैरोकार प्रतिवादी संख्या 8

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण के नाम से चक 6 पीटीपी पटवार हल्का नुकेरा के खाता सं. 922103 व खाता संख्या 32/25 में कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

चक नं. 6 पीटीपी के खाता संख्या 92/103

पत्थर नं.	मुरब्बा नं.	किला नं.
133/136	16	6,7,14 ता 18,23 ता 25
134/136	17	20
134/140	44	1/1, 1/2, 10 व 11 कुल 3.543 हैक्टेयर मय खाला रास्ता गैरमुमकिन

चक नं. 6 पीटीपी के खाता सं. 32/25

पत्थर नं.	मुरब्बा नं.	किला नं.
134/137	26	7,8,13,14,17,18,23 ता 25
134/138	31	3,4,5/1, 6/1, 7/1, 8/1
133/140	43	15,16,25
134/140	44	20 कुल 4.048 हैक्टेयर मय खाला रास्ता गैरमुमकिन वादिया के

नाम से चक 6 पीटीपी के खाता संख्या 92/103 में 1.181 हैक्टेयर तथा चक 6 पीटीपी के खाता संख्या 32/25 में 0.843 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी व प्रतिवादीगण द्वारा अपने हक वहिस्सा अनुसार समस्त कृषि भूमि का घरू बंटवारा कर रखा है तथा मुताबिक घरू बंटवारा के वादिया के हिस्से हक व कब्जा में निम्न कृषि भूमि आयी। चक 6 पीटीपी खाता संख्या 92/103 में पत्थर नं. 134/136 मुरब्बा नं. 17 किला नं. 20/0.228 पत्थर नं. 134/140 मुरब्बा नं. 44 के किला नं. 1/1/0.063, 1/2/0.165, 10/0.253 व 11/0.253 हैक्टेयर, चक 6 पीटीपी के खाता संख्या 32/25 में पत्थर नं. 133/140 मुरब्बा नं. 43 किला नं. 15,16,25 पत्थर नं. 134/140 मुरब्बा नं. 44 किला नं. 20 कुल 2.024 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन .052 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता। वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि वादिया के स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है वादिया का प्रतिवादीगण के साथ घरू बटवारा हो चुका है और मुताबिक बंटवारा वादिया अपने हक व हिस्सा व कब्जा में आयी कृषि भूमि पर लगातार व निर्विवाद रूप से काबिज चली आ रही है। वादिया औरत जात है वादिया का प्रतिवादीगण के साथ सीव बट को लेकर हमेशा विवाद रहता है ऐसी स्थिति में वादिया अब प्रतिवादीगण के

साथ अपना खाता संयुक्त नहीं रख सकती वादिया अपना खाता अलग कायम करवा करवाना चाहती है वादिया ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वे घरू बंटवारा मुताबिक हक व हिस्सा में आयी कृषि भूमि का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित करवाते हुए विधिवत विभाजन करवा खाता अलग कायम करवा लेवे। पहले तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करते हरे अंत में ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया यही वाद का कारण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या 4 ने जरिये अधिवक्ता अपना जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। जिसका वादीया ने कोई विरोध नहीं किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व 5 ता 7 के सम्मन तामिल होकर प्राप्त होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई। साक्ष्य वादी में वादीया रामप्यारी की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर साक्ष्य पेश नही करना चाहते है इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी संख्या 4 बन्द किया गया।

वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही की गई व बहस वकील वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 4 सुनी गई। वकील वादीया ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीया एवं प्रतिवादी सख्यज्ञ 4 सह–काश्तकार है। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 4 घरू बंटवारा में अच्छी मंदी के अनुसार बंटवारा कर वाद पत्र की चरण संख्या 3 व प्रतिदावा की चरण सख्या 6 अनुसार कृषि भूमि प्राप्त कर रहे है। वाद पत्र का कोई विरोध नही है। अतः वादीया का वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 4 का काउन्टर क्लेम मुताबिक अनुतोश डिक्री किया जाकर राजस्व रिकार्ड में खाता अलग–कायम कर रकमराज अलग कायम करने का आदेश देवे। प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम अनुसार वाद पत्र डिक्री करने पर अपनी सहमति दौराने बहस दी।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी चक 6 पीटीपी खाता संख्या 92/103 ज.स. 2072–2075 व खाता संख्या 32/25 ज.स. 2072–75 एवं इसी चक के नया खाता संख्या 34/25 ज.स. 2072–75 में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से सांझा खाता में वादग्रस्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रश्नगत आराजी पर वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 4 घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 4 ने वादीया के वाद पत्र को स्वीकार करते हुए जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया है। वाद पत्र व प्रतिदावा का कोई विरोध न्यायालय के समक्ष पेश नही हुआ है तथा शेष पक्षकारान को तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नही आये एव ना ही अपना कोई आपत्ति/एतराज प्रस्तुत किया, इसलिए वादीया का वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 4 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 4 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि चक 6 पीटीपी खाता संख्या 92/103 सम्वत 2072–2075 में वादीया रामप्यारी के हक व हिस्से की कृषि भूमि :–

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
134/136	17	20/0.228,
134/144	44	1/1/0.063, 1/2/0.165, 10/0.253 , 11/0.253
चक 6 पीटीपी खाता संख्या 32/25 ज.स. 2072–75		
133/140	43	15,16,25
134/140	44	20
कुल रकबा 2.024 है. मय गै.मु.0.052 हैक्ट. रास्ता		

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिवादी संख्या 4 विनोद देवी पत्नी बलराम झोरड़ जाति जाट साकिन नुकेरा चक 6 पीटीपी प.न. 134/138 मु. न. 31 किला नं. 4/1/0.215, 4/2/0.038, 5/1/0.203, 5/3/0.038, 6/1/0.004, 7/1/0.004, 8/1/0.004 = 0.506 है.

उक्तनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निज..........×............मुब्लिक.........×.............बाबत..........100/–...........खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..........×...........को अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 07.12.2022 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 53 आरटीए
प्रकरण संख्या:– 79/2022

रामप्यारी पत्नी सिकन्दर पाल जाति जाट नि. नुकेरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ राज0 वादीया

बनाम

1. राजेश उर्फ सुरेन्द्र कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0
2. नरेन्द्रकुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0
3. चन्द्रकला पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0
4. विनोद देवी पत्नी बलराम झोरड जाति जाट नि.नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0
5. बैंक आफ बडौदा शाखा संगरिया।
6. बैंक ऑफ बडौदा शाखा किशनपुरा।
7. पंजाब नेशनल बैक शाखा संगरिया।
8. तहसीलदार राजस्व संगरिया। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री सन्तोष सोलंकी वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री नक्षत्र सिह सिद्दू वकील प्रतिवादी संख्या 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व निम्नानुसार डिक्री दी जाती है:–

चक 6 पीटीपी खाता संख्या 92/103 सम्वत 2072–2075 में वादीया रामप्यारी के हक व हिस्से की कृषि भूमि :–

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
134/136	17	20/0.228,
134/144	44	1/1/0.063, 1/2/0.165, 10/0.253 , 11/0.253
चक 6 पीटीपी खाता संख्या 32/25 ज.स. 2072–75		
133/140	43	15,16,25
134/140	44	20
कुल रकबा 2.024 है. मय गै.मु.0.052 हैक्ट. रास्ता		
प्रतिवादी संख्या 4 विनोद देवी पत्नी बलराम झोरड़ जाति जाट साकिन नुकेरा चक 6 पीटीपी प.न. 134/138 मु. न. 31 किला नं. 4/1/0.215, 4/2/0.038, 5/1/0.203, 5/3/0.038, 6/1/0.004, 7/1/0.004, 8/1/0.004 = 0.506 है.		

उक्तनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज......×........नल......×........मुब्लिक......×........निल........×.......बाबत्.......×.......निल.......×.......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक............अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 07.12.2022 को जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया